

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ALWAR, राजस्थान

1. मान्यता के लिए मजूरों विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाधता अडलौटित नहीं होगी।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान विद्यालय और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में मा. साधारणशिक्षा पूर्ण विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तय करेगा और प्रवेश के समय 'अन्याय' और 'अन्याय' समूह से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा उपलब्ध करावेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-2 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार पत्र प्रेषित की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय को प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी प्रकार (Screening) प्रक्रिया का पत्र नहीं बनाएगा।
6. विद्यालय आपु के संसु के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
- (i) विद्यालय में प्रवेश किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निकाला नहीं किया जाएगा;
 - (ii) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का प्रान्त नहीं होगा;
 - (iii) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के पैरा-23 के अधिनियम- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - (v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्यात/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
 - (vi) अक्टूबर, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;
 - (vii) अक्टूबर, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं;
 - (viii) अक्टूबर, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण (Syllabus) का अनुसरण करेगा।
8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय अपने या अन्य संरचनाएँ या भेदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जायेंगे।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक-न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लागू करने के लिए विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तों को राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएगी, मान्य होगी।

Whole Time Director/Secretary
Sidharth V. School
Vill Khairthala, Ramgarh
Alwar (Raj) 301025

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा

RJAWR 30783

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ALWAR, राजस्थान

क्रमांक: 505

दिनांक: 1/2/21

स्थिति:

पत्र संख्या:

SIDDHARTHA I V, SCHOOL KHAIRTHALA RAMGARH

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के अध- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 29730 और इस संवेद्य में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पक्षतर्की पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के गन्तव्य में SIDDHARTHA I V, SCHOOL KHAIRTHALA RAMGARH पता VILLAGE - KHAIRTHALA, TEHSIL - RAMGARH, ALWAR जिले में पञ्जाब शासकीय निकाय CHIDWA ब्लॉक RAMGARH को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करती है।

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता कार्य से ही कक्षा 7 एवं 8 के संवाहन की अनुमति	Yes

जिला शिक्षा 31
(मुख्यालय) 110 11


Whole Time Director/Secretary
Siddhartha I V School
Vill Khairthala, Ramgarh
Alwar(Raj)301025

Principal
Siddhartha I V School
Vill Khairthala, Ramgarh
Alwar(Raj)301025


प्रारूप - 2

RAWA3783


कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ALWAR, राजस्थान



जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा. शिक्षा, राजस्थान

- 1. विहित प्रस्तावित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2. विद्वत् माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4. शिक्षा प्रसारण एवं संचालन शिक्षा (एच.ए. 5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 5. जिला मुख्यालय।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा. शिक्षा, राजस्थान

RAJ-PS


Whole Time Director/Secretary
Sidhartha V School
Vill Khairthala, Ramgarh
Alwar (Raj)301025


Principal
Sidhartha V School
Vill Khairthala, Ramgarh
Alwar (Raj)301025